सं0-563

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

मोहन ठाकुर पिता स्व0 दुखन ठाकुर, निवास स्थान ग्राम–सिंघानी, पोस्ट–कोर्रा, थाना–मुफस्सिल, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–सिंघानी, थाना नं0–153, खाता संख्या–71, प्लॉट संख्या–512, रकबा–0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि रूदन कुमार पटेल पिता बिलटू महतो, निवास स्थान ग्राम–होलंग, थाना–टाटीझरिया, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-41/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 27.10.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 260 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत हरदयाल नौवा हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 2.03 एकड़ भूमि है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 1.48 एकड़ भूमि है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या–174/III पर ऑनलाईन में दीपन हजाम वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा वगैरह जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 1.46 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2023-24 तक निर्गत् लगान रसीद की छायाप्रति भी प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में मोहन ठाकुर पिता स्व0 दुखन ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-सिंघानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिंघानी, थाना नं0-153, खाता संख्या-71, प्लॉट संख्या-512, रकबा-0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि रूदन कुमार पटेल पिता बिलटू महतो, निवास स्थान ग्राम-होलंग, थाना-टाटीझरिया, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.07 16:32:19 +05:30
Location: 192.168.43.127